न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00216

1. मंगल चन्द आत्मज मोरपाल आयु 38 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. शांति बाई पत्नी स्व0 मोरपाल आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. बदरी आत्मज जन्सी आयु 80 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. श्रीमती दाखां पत्नी स्व0 जयराम आयु 62 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. कमलेश आत्मज स्व0 जयराम आयु 38 वर्ष निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. सीताराम आत्मज स्व0 जयराम आयु 29 वर्ष निवासी काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. श्रीमती मथरा पुत्री स्व0 जयराम पत्नी प्रकाश आयु 42 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम जगदीशपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. श्रीमती सीता पुत्री स्व0 जयराम पत्नी बनवारी आयु 34 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम देवली तहसील उनियारा जिला टोंक ।
7. कैलाशचन्द आत्मज रामफूल आयु 45 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. रामबिलास आत्मज रामफूल आयु 40 वर्ष निवासी काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. देवेन्द्र आत्मज रामफूल आयु 21 वर्ष निवासी काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. बलासी पुत्री रामफूल आयु 38 वर्ष पत्नी चॉदमल जाति मीणा हाल निवासी ग्राम रोहित पोस्ट झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक ।
11. उर्मिला पुत्री रामफूल आयु 35 वर्ष पत्नी कमलेश निवासी ग्राम रोहित पोस्ट झुण्डवा तहसील उनियारा जिला टोंक ।
12. रामपति पुत्री रामफूल आुय 35 वर्ष पत्नी कालू लाल जाति मीणा हाल निवासी ग्राम श्योपुरा पोस्ट पलाई तहसील उनियारा जिला टोंक ।
13. राममूर्ति पुत्री रामफूल आयु 30 वर्ष पत्नी लोकेश जाति मीणा हाल निवासी ग्राम कुश्तला पोस्ट कुश्तला तहसील व जिला सवाईमाधेपुर ।
14. धोली बाई पत्नी स्व0 रामफूल आयु 50 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2, 3 व 4 की ओर से ।
3. श्री एस0एस0 यादव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 7 से 14 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 20.11.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 02 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बिशनपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 199 रकबा 15 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जयराम व जन्सी पिसरान बरधा जाति मीणा के सहखातेदारी में दर्ज है । वादीगण के परिवार के मूल पुरूष बरधा जाति मीणा थे जिनका स्वर्गवास काफी वर्षों पूर्व हो चुका है । बरधा जी के एक मात्र पुत्र जन्सी उत्पन्न हुआ जिनका भी देहान्त आज से करीब 45 वर्ष पूर्व हो चुका है । जंसी के एक मात्र पुत्र जयराम है उनकी भी मृत्यु 65 वर्ष की अवस्था में दिनांक 18.09.2015 को हो चुकी है जिनकी उत्तराधिकारी वादीगण हैं । वादीगण उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण ने कुछ दिन पूर्व केसीसी बनाने के लिए पटवारी हल्का के पास नकल निकलवाने गये तो उन्हें इस बात का पता चला कि खाते में जयराम व जन्सी पिसरान बरधा जाति मीणा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है जबकि जयराम वल्द जन्सी जाति मीणा का नाम दर्ज होना चाहिए । उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त व निरस्त कर खातेदार के रूप में वादीगण का नाम दर्ज होना चाहिए था । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में हो रही त्रुटिपूर्ण प्रविष्टी को निरस्त किया जाकर वादीगण के नाम सहखातेदारी के रूप में दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.04.2017 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मिथ्या व निराधार अभिवचन किया है कि जन्सी के एकमात्र पुत्र जयराम है और वही जन्सी का एकमात्र उत्तराधिकारी है जबकि वास्तविकता यह है कि स्व0 जन्सी के चार पुत्र अपीलान्ट बदरी, मोरपाल, जयराम, रामफूल पैदा हुए थे जिनमें से

जयराम, मोरपाल व रामफूल का स्वर्गवास हो चुका है । केवल बदरी जीवित है । मोरपाल के वैध वारिसान अपीलान्ट कम 1 व 2 है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट कम 1 व 2 का 1/4 हिस्सा अपीलान्ट कम 03 का 3/4 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट कम 2 से 6 का 1/4 हिस्सा है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 6 को खातेदार घोषित करने में विधिक त्रुटि की है । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 14 स्व0 जन्सी के वैध वारिसान होने की पुष्टि ग्राम काशीपुरा में स्थित आराजी कुल 14 किता रकबा 49 बीघा 18 बिस्वा की वर्तमान जमाबन्दी से होती है । वादग्रस्त आराजी एवं ग्राम काशीपुरा में स्थित आराजी का पक्षकारान ने आपसी पारिवारिक सहमति से मौके पर विभाजन कर लिया था जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 15 बीघा भूमि स्व0 जयराम व स्व0 मोरपाल के आधी–आधी आयी थी । रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया था । प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाने के कारण उनके हित व अधिकार प्रभावित हुए हैं । प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थी ने स्वयं को जन्सी का वारिस बताया है व वादग्रस्त आराजी में हित–निहित होना कथन किया है तथा प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होना बताया है । अतः न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्टगण ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की दिनांक 13.06.2019 को सर्वप्रथम जानकारी हुई जिस पर अपीलान्ट ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 6 ने तहसीलदार नैनवा को पक्षकार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से दावा वादी डिक्री किया है । यह सर्वथा निराधार कथन किया है कि जन्सी का एक मात्र पुत्र जयराम है जबकि वास्तविकता यह है कि जन्सी के 04 पुत्र हैं । बद्री, गोपाल, जयराम और

रामफूल । जयराम, मोरपाल और रामफूल का स्वर्गवास हो चुका है । मृतक मोरपाल के वैध वारिस अपीलान्ट क्रम 1 व 2 और रामफूल के वैध वारिस रेस्पोडेन्ट क्रम 7 लगायत 14 हैं । वादग्रस्त आराजी में अपीलान्टगण भी सहखातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं । सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेन्ट वादीगण के खाते दर्ज करने में कानूनी त्रुटि की है । अपीलान्टगण धारा 96 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी जयराम और जन्सी के खाते में दर्ज है । इसका अपीलान्टगण से कोई सम्बन्ध नहीं है । बरधा का एकमात्र पुत्र जन्सी हुआ था और जन्सी का पुत्र जयराम है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी डिक्री किया है । यदि अपीलान्टगण के वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार निहित हैं तो वे पृथक से दावा लाने के लिए स्वतंत्र हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनांक 28.04.2017 बहाल रखा जावे ।

12. हमने षत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 प्रदर्श– 1 पेश की है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 15 बीघा जयराम व जन्सी पिसरान बरधा के संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 प्रदर्श– 2 पेश की है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी जयराम एवं जन्सी के संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श –3, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2066–69 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 4, नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2028–2047 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–5 जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी जयराम एवं जन्सी के संयुक्त खाते में दर्ज है और जयराम के मृत्यु प्रमाण की फोटो प्रति पेश की हैं ।

14. वादीगण ने यह कथन करते हुए दावा सरकार के खिलाफ पेश किया है कि जन्सी का एकमात्र पुत्र जयराम है और वो जयराम वारिस है । अपील में अपीलान्टगण का यह कथन है कि जन्सी के 04 पुत्र हुए हैं । बद्री, मोरपाल, जयराम और रामफूल । अपीलान्टगण ने अपने इस कथन के समर्थन में एक अन्य गॉव काशीपुरा की नकल जमाबन्दी पेश की है जिसमें बद्री, मोरपाल, रामफूल पिसरान जन्सी, कमलेश, सीताराम पिसरान जयराम, मथुरा, सीता पुत्रियॉ जयराम, दाखा पत्नी स्व0 जयराम सहखातेदार दर्ज हैं । इस जमाबन्दी से प्रथमदृष्टया यही प्रमाणित होता है कि जन्सी के 04 पुत्र हुए हैं बद्री, मोरपाल, रामफूल और जयराम । अपीलान्टगण इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये बिना हक घोषणा का दावा पेश किया है । हम इस प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर

प्रदान किया जाना आवश्यक समझते हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनसी न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर उन्हें जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वो दिनांक 04.01.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/11/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा